FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **राजूलाल बनाम दिलीप सिंह वगैरह** **दीवानी वाद संख्या – 119/2021 (43/2019)** **सीआईएस संख्या – 43/2019**	Brief note of Compliance of Order
06.03.2025	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 श्रीराम जनरल इंश्योरेंश कंपनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांकित 05.04.2024 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने कथन किए कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 186/2017 पुलिस थाना मदनगंज में दुर्घटना के संबंध में दर्ज की गई। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति प्रार्थना पत्र में कथित दुर्घटना में लिप्तता वाले वाहन संख्या आर.जे. 47 एस.बी. 4039 के मालिक व श्रीराम जनरल इंश्योरेंश कंपनी को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जबकि प्रथम सूचना रिपार्ट जो दर्ज कराई व वाहन संख्या आर.जे. 42 एस.सी. 2269 के विरूद्ध दर्ज करवाई है। जिसके चालक को दोषी मानते हुए चार्जशीट मुलजिम राजूलाल के विरूद्ध पेश की गई। उक्त वाहन के चालक स्वामी, बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उक्त वाहन के चालक, स्वामी एवं बीमा कंपनी को पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किए कि प्रकरण में प्रार्थी की ओर से हस्तगत क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 163 ए मोटरवाहन अधिनियम के तहत पेश की गई जिसमें उपेक्षा के तथ्यों को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। प्रार्थी के वाहन के साथ दुर्घटना वाहन संख्या आर.जे. 47 एस.बी. 4039 के द्वारा कारित की गई जिसके मालिक एवं इंश्योरेंश कंपनी को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध जो चार्जशीट पेश हुई वह झूंठी है। प्रार्थी अपनी क्लेम याचिका में पक्षकार बनाए जाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद अनुसंधान प्रस्तुत चालान वाहन संख्या आर.जे. 42 एस.सी. 2269 के चालक राजूलाल के विरूद्ध पेश होने से उक्त वाहन के चालक, स्वामी एवं बीमा कंपनी को पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत क्लेम–याचिका के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जिस वाहन के चालक, स्वामी, बीमा कंपनी को पक्षकार बनाए जाने का अप्रार्थी संख्या 2 ने निवेदन किया है वह हस्तगत प्रकरण का प्रार्थी है उसने उक्त मोटरसाइकिल स्वयं की होना एवं उस पर बैठकर अपने	

	गांव परासिया से किशनगढ़ की ओर जाना बताया है। परासिया मोड़ के पास मोटरसाइकिल आर.जे. 47 एस.बी. 4039 के चालक द्वारा उसे टक्कर मारने का कथन किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी ने अपनी क्लेम–याचिका में जो क्लेम का दावा किया है वह मोटरसाइकिल संख्या आर.जे. 47 एस.बी. 4039 के स्वामी, उसकी बीमा कंपनी के विरूद्ध किया गया है। हस्तगत दावा धारा 163 ए मोटरयान अधिनियम के तहत पेश किया गया है। क्लेम याचिका में पक्षकार कायम करने या नहीं करने के लिए प्रार्थी स्वयं स्वतंत्र है। प्रार्थी को किसी व्यक्ति विशेष या बीमा कंपनी को पक्षकार मुकदमा करने के लिए बाध्य नहीं जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में वाहन संख्या आर.जे. 42 एस.सी. 2269 का चालक प्रार्थी स्वयं है, जो स्वयं पक्षकार है लेकिन उक्त वाहन के स्वामी एवं बीमा कंपनी को पक्षकार मुकदमा कायम किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी दिनांक 28.03.2025 को पेश हो। **(शालिनी शर्मा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**	